|| श्री महेश्वराय नमः ||

स्थापित 1969 पंजीकृत क्रमांक 228–1971–72

# श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्टर्ड)
(सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र पुष्कर, जिला–अजमेर (राजस्थान) रहेगा)
(आयकर अधिनियम की धारा 80–जी के तहत दान पर छूट प्राप्त है)

# संशोधित विधान
# एवं
# नियमावली

(दिनांक 13.11.2011 तक संशोधित)

**प्रधान कार्यालय**

## माहेश्वरी सेवा सदन

महेश मार्ग, पुष्कर–305022 (राजस्थान) ☎ 0145–2772035, Fax 2773451

**शाखाएं**

वृन्दावन

**माहेश्वरी सेवा सदन**

रमणरेती रोड, शोध संस्थान के पीछे,
वृन्दावन–281121 (उ.प्र.) ☎ 0565–2540421, 2540734

हरिद्वार

**माहेश्वरी सेवा सदन**

दूधाधारी मंदिर के सामने, ऋषिकेश रोड
हरिद्वार–249410 (उ.ख.) ☎ 01334–261[illegible] Fax–261[illegible]

बद्रीनाथ

**माहेश्वरी सेवा सदन**

[illegible] के पास, बद्रीनाथ – 246422 (उ.ख.)
☎ 01381–222237

नाथद्वारा

**माहेश्वरी सेवा सदन**

मीरा होटल्स, नाथूवास रोड, नाथद्वारा– 313301 (राज.)
☎ 02953 232301 Fax–231079

गढबोर–चारभुजा

**माहेश्वरी सेवा सदन**

[illegible] रोड, गढबोर–चारभुजा– 313333 (राज.)
☎ 02951–248200

जतीपुरा

**माहेश्वरी सेवा सदन**

परिक्रमा मार्ग, मुखारविन्द के पास,
जतीपुरा–गोवर्धन–281502 (उ.प्र.) ☎ 01334–2815013

रामदेवरा

**माहेश्वरी सेवा सदन**

[illegible] रोड, रामदेवरा– 345022 (राज.)
☎ 02996–235080

नासिक

**माहेश्वरी सेवा सदन**

सर्वे नं. 48, [illegible] परिसर, [illegible] पंचवटी,
नासिक (महाराष्ट्र)

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

# श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन

पुष्कर (अजमेर) राज.

## संघ विधान पत्र

### 1. नाम व कार्य क्षेत्र :-

इस संस्था का नाम श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन है व रहेगा। इसका कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर होगा।

### 2. पंजीकृत कार्यालय :-

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के अजमेर जिला पुष्कर गांव में (पुराने रंगजी के मन्दिर के पास) जिसका कि डाकघर पुष्कर में है व रहेगा।

### 3. संस्था के उद्देश्य :-

इस संस्था के उद्देश्य निम्न लिखित है व रहेंगे।

एक कोष की स्थापना करना जिसके द्वारा निम्न परोपकारी कार्य किये जावें :-

(क) समाज के असहाय और निराश्रित व्यक्तियों, वृद्धों तथा विधवाओं के निर्वाह के लिए सहायता देना और उनकी जीविका सुचारू रूप से चल सके, ऐसी सक्रिय योजना बनाना।

(ख) समाज के जरूरतमंद और सहायता के पात्र लोगों को अन्न, औषधियां, आवास व अन्य प्रकार से सहायता देना या दिलवाना।

(ग) समाज के असहाय व्यक्तियों की बच्चियों के विवाह में आर्थिक व अन्य प्रकार से सहायता देना व दिलवाना।

(घ) समाज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ देना तथा अन्य प्रकार से सहायता करना।

(ङ) प्राकृतिक प्रकोप जैसे – बाढ़, भूकम्प, महामारी, अकाल, तूफान आदि दुर्घटनाओं तथा विपत्तियों में ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देना।

(च) समाज के व्यक्तियों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम शाला, आरोग्य भवन तथा औषधालय आदि की स्थापना करना।

(छ) समाज के व्यक्तियों के मानसिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास हेतु वाचनालय, पुस्तकालय आदि चलाना।

(ज) समाज के शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके आवास की सुविधा हेतु छात्रालयों की स्थापना करना।

(झ) समाज के व्यक्तियों के औद्योगिक सुविधाओं हेतु उद्योगों की स्थापना करना।

(ट) ऐसे सभी प्रकार के कार्य करना जो कि इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी हो।

(ठ) सभी तीर्थ स्थानों पर यात्रियों के आवास हेतु भवन निर्माण करना और वहाँ पर भी वृद्धाश्रम व औषधालय इत्यादि चलाना।

**उपरोक्त उद्देश्यों में लाभ कमाना निहित नहीं है।**

| क्र. | नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामजस बालदी | व्यापार | रामभजन मांगीलाल, विजयनगर, जिला–अजमेर | ——— |
| 2. | श्री कानमल तोषनीवाल | व्यापार | रामचंद्र मांगीलाल तोषनीवाल, पड़ाव, अजमेर | ——— |
| 3. | श्री मदनलाल मूंदड़ा | व्यापार | कमल मोटर कंपनी, अजमेर | ——— |
| 4. | श्री नथमल भंडारी | व्यापार | नया बाजार, अजमेर | ——— |
| 5. | श्री गौरधनदास सोनी | व्यापार | एम.एल.ए. मेड़ता सिटी, जिला–नागौर | ——— |
| 6. | श्री गुलाबचंद परतानी | व्यापार | मेड़तासिटी, जिला–नागौर | ——— |
| 7. | श्री रामदयाल भूतड़ा | व्यापार | डांगावास, जिला–अजमेर | ——— |
| 8. | श्री रक्खीलाल हेडा | व्यापार | पुष्कर, जिला–अजमेर | ——— |
| 9. | श्री गुलाबचंद मालू | व्यापार | पुष्कर, जिला–अजमेर | ——— |
| 10. | श्री उमेशचंद लड्ढा | नौकरी | रमा बैकुण्ठ मंदिर, पुष्कर, जिला–अजमेर | ——— |
| 11. | श्री प्रयागदास टावरी | नौकरी | कृष्णा मिल, ब्यावर, जिला–अजमेर | ——— |

साक्षीकर्त्ता

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री हरिनिवास राठी | नौकरी | 7/13, होलीदड़ा, अजमेर | ——— |
| 2. | श्री हरिकृष्ण लाहोटी | नौकरी | 470, रामगंज, अजमेर | ——— |

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

# श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन

पुष्कर (अजमेर) राज.

## विधान एवं नियमावली

(दि. 13.11.2011 तक संशोधित)

1. **नाम व कार्य क्षेत्र :–**

इस संस्था का नाम श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन है व रहेगा। इसका कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर होगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय :–**

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के अजमेर जिला पुष्कर गांव में (पुराने रंगजी के मन्दिर के पास) जिसका कि डाकघर पुष्कर में है व रहेगा।

3. **संस्था के उद्देश्य :–**

इस संस्था के उद्देश्य निम्न लिखित है व रहेंगे।

एक कोष की स्थापना करना जिसके द्वारा निम्न परोपकारी कार्य किये जावें :–

(क) समाज के असहाय और निराश्रित व्यक्तियों, वृद्धों तथा विधवाओं के निर्वाह के लिए सहायता देना और उनकी जीविका सुचारु रूप से चल सके, ऐसी सक्रिय योजना बनाना।

(ख) समाज के जरूरतमंद और सहायता के पात्र लोगों को अन्न, औषधियां, आवास व अन्य प्रकार से सहायता देना या दिलवाना।

(ग) समाज के असहाय व्यक्तियों की बच्चियों के विवाह में आर्थिक व अन्य प्रकार से सहायता देना व दिलवाना।

(घ) समाज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां देना तथा अन्य प्रकार से सहायता करना।

(ङ) प्राकृतिक प्रकोप जैसे – बाढ़, भूकम्प, महामारी, अकाल, तूफान आदि दुर्घटनाओं तथा विपत्तियों में ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देना।

(च) समाज के व्यक्तियों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम शाला, आरोग्य भवन तथा औषधालय आदि की स्थापना करना।

(छ) समाज के व्यक्तियों के मानसिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास हेतु वाचनालय, पुस्तकालय आदि चलाना।

(ज) समाज के शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके आवास की सुविधा हेतु छात्रालयों की स्थापना करना।

(झ) समाज के व्यक्तियों के औद्योगिक सुविधाओं हेतु उद्योगों की स्थापना करना।

(ट) ऐसे सभी प्रकार के कार्य करना जो कि इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी हो।

(ठ) सभी तीर्थ स्थानों पर यात्रियों के आवास हेतु भवन निर्माण करना और वहाँ पर भी वृद्धाश्रम व औषधालय इत्यादि चलाना

उपरोक्त उद्देश्यों में लाभ कमाना निहित नहीं है।

4. परिभाषाऐं :–

इन नियमों में जब तक विषय अथवा प्रकरण में कोई बात विरुद्ध न हो :

(क) संस्था व सदन से अर्थ श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर (राज.) से व उसकी शाखाओं से है।

(ख) वित्त वर्ष से अर्थ हिसाबी (लेखा) वर्ष से है, जो 1 (एक) अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 (इकतीस) मार्च को समाप्त होता है।

(ग) सदस्य से अर्थ सदन के सदस्य से है।

(घ) मार्गदर्शक सदस्य से अर्थ सदन के मार्गदर्शक सदस्य से है।

(ङ) अध्यक्ष का अर्थ सदन के अध्यक्ष से है।

(च) वरिष्ठ उपाध्यक्ष का अर्थ सदन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से है।

(छ) उपाध्यक्ष का अर्थ सदन के उपाध्यक्ष से है।

(ज) महामंत्री का अर्थ सदन के महामंत्री से है।

(झ) कोषाध्यक्ष का अर्थ सदन के कोषाध्यक्ष से है।

(ञ) मंत्री का अर्थ सदन के मंत्री से है।

(ट) प्रचार मंत्री का अर्थ सदन के प्रचार मंत्री से है।

(ठ) कार्यालय मंत्री का अर्थ सदन के कार्यालय मंत्री से है।

(ड) सदस्यों की सभा अथवा साधारण सभा / विशेष सभा का अर्थ सदन की उस सभा से है, जिसमें सदन के प्रत्येक सदस्य को उपस्थित रहने, कार्यवाही में भाग लेने व मत देने का अधिकार होगा।

(ढ) प्रबन्धकारिणी समिति का अर्थ ऐसी समिति से है, जिसमें विधान नियमावली के अन्तर्गत चुने हुए व्यक्ति है।

(ण) नियमों से तात्पर्य इन नियमों से है।

(त) उल्लेखनीय (Prescribed) से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत उल्लेख किया हुआ है।

(थ) संघ विधान में वर्णित क्रमांक 5 में उल्लेखित सदस्य सदन के मार्गदर्शक सदस्य कहलायेंगे। मार्गदर्शक सदस्य का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारियों को अधिकार है कि, वह सदस्यों में से किसी को भी मार्गदर्शक सदस्य चुन सकेंगे।

5. आजीवन सदस्यता :–

(क) माहेश्वरी जाति के केवल वे पुरुष एवं स्त्री ही इस सदन के सदस्य बनाये जा सकेंगे जो इस सदन के उद्देश्यों से सहमत हो तथा नियमों व उपनियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हो तथा आवेदन के दिन 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।

(ख) आजीवन सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नियमानुसार लिखित आवेदन करना होगा तथा प्रबन्धकारिणी द्वारा समय–समय पर इस हेतु निर्धारित सहयोग राशि जो आज 5,000/– रु. (पाँच हजार रुपये) है के साथ सदस्यता शुल्क 100/– रु. जमा करवाना होगा।

(ग) सभी मार्गदर्शक सदस्य इस संस्था के आजीवन सदस्य है व रहेंगे।

(घ) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा आजीवन–सदस्यता स्वीकृत की जाने पर ही व्यक्ति संस्था का सदस्य माना जायेगा। अस्वीकृति की दशा में समिति को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। सदस्यता अस्वीकृत होने पर इस हेतु जमा करायी गई सहयोग एवं सदस्यता राशि वापिस लौटा दी जायेगी।

(ङ) कार्य विशेष के लिये प्रदत्त सहयोग–राशि में एक ही व्यक्ति को सदस्यता दी जायेगी।